संख्या- 282 /X-2-2010-12(63)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

विषयः-अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित "BCRLI प्रोजेक्ट हेतु वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-8(2)12/2006-PT/3 दिनांक 04 मई, 2010 एवं आपके पत्र संख्या-नि0 1835/3-6 दिनांक 19 मई, 2010 तथा पत्रांक-नि0 91/3-6 दिनांक 21 जुलाई, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Improvement (BCRLI) परियोजना हेतु वर्ष 2008-09 की अप्रयुक्त धनराशि की वर्ष 2010-11 में व्यय करने की वैधता की स्वीकति भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के दृष्टिगत ₹13,10,000/-(रुतेरह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही व्यय की जायेगी और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए न किया जाय.

(2) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(3) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(8) जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

(9) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(10) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(11) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(13) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(14) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(15) विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ मे तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.

(16) जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी आवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष होगा. भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो.

(17) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0109-"पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास" योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ लाख में)

पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास	वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित भारत सरकार का पत्र/दिनांक	भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध कुल धनराशि	मानक मद	वित्तीय स्वीकृति
BCRLI- अस्कोट	8(2)12/2006-PT/3 Dt. 04.05.2010	13.10	18-प्रकाशन 29-अनुरक्षण 44-प्रशिक्षण	200 230 880
योग				1310

(वर्तमान स्वीकृति ₹ तेरह लाख दस हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-258(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी कि जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....

व-282

संख्या- (1)/X-2-2010, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोर्ल्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव